

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
(दिनांक 12-11-2022 शनिवार)
लोक अदालत बैच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 443/2022

GCMS NO- 2022/ 664

उनवान-


विनोद कुमार बनाम राजस्थान सरकार


-:आदेश:-

दिनांक : 12-11-2022

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का हीरवा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हीरवा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 348 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हीरवा	ग्राम कुहाडवास की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 371	टीनूं कंवर पुत्र ब्रह्मासिंह	दीपिका कंवर पुत्र बिरमासिंह
2	हीरवा	ग्राम कुहाडवास की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 371	भंवरसिंह पुत्र ब्रह्मासिंह	विनोद कुमार पुत्र बिरमासिंह


(महेश कुमार)
अधिवक्ता
बुहाना



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना

(रेणुका शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुहाना

क्रमांक :- राजस्व / 2022 /
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 12-11-2022

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।


(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना